रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 1995/चैत्र 27, 1917
No. 167] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 1995/CHAITRA 27, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1995

सं. 13/95—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 344(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 80/94—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.), तारीख 22 सितम्बर, 1994 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) शर्त (iv) में, "सिरमौरी" शब्द के स्थान पर "बीताखोर (सुरमन्द)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) उपाबन्ध-1 में,—

(क) पैरा 1 के उपपैरा (ii) में, "प्रसामान्य" शब्द लोप किया जाएगा ;

(ख) पैरा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :— शंका के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां इस उपाबन्ध 1 के अधीन "बीजक" की चार प्रतियों में तैयार करना अपेक्षित हो, वहां ऐसा "बीजक" इस उपाबन्ध से संलग्न प्ररूप में तैयार किया जाएगा।"।

[फा. सं. 297/1/95-सी. एक्स.—9]

हस्ता.-

ओ. पी. सरोहे, अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 1995

NO. 13/95-CENTRAL EXCISE (NT)

G.S.R. 344(E).—In exercise of powers conferred by the rule 12 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Departmet of Revenue) No. 50/94-Central Excises (NT) dated the 22nd September, 1994, namely :—

In the said notification,—

(i) in condition (iv), for the word "Nirmali", the words and brackets "Bitamore (Sursand)" shall be substituted ;

(ii) in Annexure-1,—

(a) in paragraph 1, in sub-paragraph (ii), the word "normal" shall be omitted ;

(b) after paragraph 4, the following Explanation shall be added, namely :—

'Explanation.—For the removal of doubt it is hereby declared that where preparation of "invoice" in quadruplicate is required under this Annexure-I, such "invoice" shall be prepared in the form appended to this Annexure.'.

[F. No. 297/1/95-CX. 9]

O. P. SROHE, Under Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995